

कार्यालय :- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक (राजस्थान)।

क्रमांक :- 1520.

दिनांक :- 30/10/2025

॥ कार्यालय आदेश ॥

मैं कमल सोनी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 12 संप्रति धारा 13(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माह नवंबर-2025 में राजकीय अवकाशों में टोंक जिला मुख्यालय एवं उपखण्ड मुख्यालय पीपलू, निवाई, उनियारा, देवली, मालपुरा, टोडारायसिंह व तहसील मुख्यालय दूनी के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न होने वाले आवश्यक आपराधिक प्रकृति के कार्यों (यथा रिमाण्ड, जमानत, मृत्यु कालीन कथन एवं अन्य आवश्यक फौजदारी कार्य) से सम्बन्धित मामलों की सुनवाई सारणी संख्या 1 में वर्णित कॉलम संख्या 2 में अंकित न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी, जिनके नाम कॉलम संख्या 3 में अंकित है, कॉलम संख्या 5 में अंकित दिनांक को रिमाण्ड इ्यूटी करेंगे। साथ ही प्रोटोकॉल के लिए सारणी संख्या 2 में वर्णित कॉलम संख्या 2 में अंकित न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी, जिनका नाम कॉलम संख्या 3 में अंकित है, कॉलम संख्या 5 में अंकित दिनांक को प्रोटोकॉल इ्यूटी करेंगे।

सारणी संख्या :- 1 रिमाण्ड इ्यूटी

क्र.सं.	न्यायालय का नाम	पीठासीन अधिकारी का नाम	मोबाईल नम्बर	दिनांक
1	2	3	4	5
1.	अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक	यतिन खटाना	8860702787	02/11/25
2.	अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सं.2, टोंक	गजपाल सिंह	9409365248	05/11/25
3.	अति. न्यायिक मजिस्ट्रेट, देवली	अभिलाषा जेफ	9829462902	08/11/25
4.	न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय देवली	हर्ष मीना	8290481196	09/11/25
5.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, दूनी	माधवी गोस्वामी	9352972171	16/11/25
6.	अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, निवाई	अंजली सिंह	9560595669	22/11/25
7.	अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मालपुरा	पायल गौतम	7568145203	23/11/25
8.	अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सं.1, टोंक	निधि शर्मा	9461322165	30/11/25

सारणी संख्या :- 2 प्रोटोकॉल इ्यूटी

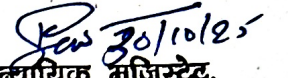
क्र.सं.	न्यायालय का नाम	पीठासीन अधिकारी का नाम	मोबाईल नम्बर	दिनांक
1	2	3	4	5
1.	अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सं.2, टोंक	गजपाल सिंह	9409365248	02/11/25
2.	अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोडारायसिंह	अनुभा सिंह	8529211353	05/11/25
3.	न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय देवली	हर्ष मीना	8290481196	08/11/25
4.	अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उनियारा	डॉ. सुरभि सिंह	9414782822	09/11/25
5.	अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, निवाई	अंजली सिंह	9560595669	16/11/25
6.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, मालपुरा	धर्मेन्द्र कुमार शर्मा	8302657251	22/11/25
7.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, दूनी	माधवी गोस्वामी	9352972171	23/11/25
8.	अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, निवाई	रविन्द्र प्रताप सैनी	9828466284	30/11/25

उक्त इ्यूटी चार्ट में अंकित न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वह रिमाण्ड इ्यूटी में कार्यालय समय पर अपने न्यायालय/कार्यालय में उपस्थित रहे। साथ ही अपने कार्यालय के एक लिपिक व च.श्रे.क. को भी रिमाण्ड इ्यूटी के दिन कार्यालय में

उपस्थित रखे।

नोट :- उक्त राजपत्रित अवकाशों व स्थानीय अवकाश के अतिरिक्त अन्य दिवस को आकस्मिक अवकाश घोषित होने की स्थिति में अवकाश घोषित दिवस से पूर्व दिवस को राजपत्रित अवकाश हेतु न्यायालयों के अभिरक्षा/अभिवृद्धि (रिमाण्ड), अन्य आवश्यक कार्य एवं प्रोटोकॉल आदि से सम्बन्धित समस्त कार्य सम्पादित किए जाने के लिए अधिकृत न्यायिक अधिकारीगण ही टोंक न्यायक्षेत्र में कार्यरत सभी न्यायालयों के अभिरक्षा/अभिवृद्धि (रिमाण्ड) व अन्य आवश्यक कार्य सम्पादित करेंगे तथा प्रोटोकॉल ह्यूटी से सम्बन्धित न्यायिक अधिकारी प्रोटोकॉल ह्यूटी करेंगे। जब तक कि कोई पृथक आदेश प्रसारित नहीं किया जावे।

नोट :- कॉलम संख्या 3 में उल्लेखित अधिकारीगण कॉलम संख्या 5 में नियत ह्यूटी दिवस पर सम्बन्धित मुख्यालय पर ही अपनी उपस्थिति सुनिश्चित रखें।

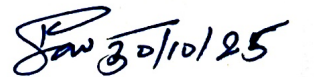

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
टोंक (राजस्थान)

क्रमांक :- 1521-1544

दिनांक :- 30/10/2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, टोंक।
2. अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-1/संख्या-2, टोंक।
3. अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उनियारा/मालपुरा/निवाई/ढोडारायसिंह।
4. न्यायिक मजिस्ट्रेट. टोंक/देवली/मालपुरा/उनियारा/निवाई/दूनी/पीपलू।
5. अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट टोंक/देवली/निवाई/न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, देवली।
6. पुलिस अधीक्षक महोदय, टोंक।
7. अधीक्षक जिला कारागृह, टोंक।
8. जिला आबकारी अधिकारी, टोंक।
9. सहायक समादेष्टा निरोधक दल, टोंक।
10. पुलिस कन्ट्रोल रूम, टोंक।
11. प्रतिलिपि सिस्टम ऑफिसर को जारी कर लेख है कि वे उक्त आदेश को जिला न्यायालय, टोंक की वेबसाइट पर अपलोड करें।


मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
टोंक (राजस्थान)